PDF Compressor Free Version

सेवा में,

महाप्रबंधक (के0आ) एवं के0 लोकसूचनाधिकारी,
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड,

विषयः- सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अर्न्तगत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तत्तकालीन क्षेत्रीय कार्यालय उत्तरी क्षेत्र-1 शाहजहाँपुर के द्वारा कराये गये विदुयुत पारेषण लाइन कार्य हेतु अधिकृत भूमि/ फसल के मुआवजा हेतु माँगी गयी सूचनाऐं हेतु आवेदन।

महोदय,

प्रार्थी आप से उक्त विषय के संबंध में बिन्दूवार सूचनाओं की जानकारी चाहता है जोकि निम्न प्रकार से हैं:-

1. प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम मिलक बमनपुरी पोस्ट बड़ेपुरा तहसील नवावगंज जिला बरेली में स्थित है उक्त भूमि पर लगाये गये विदुयुत टावर सं0 11/0 को लगाते समय दिये गये मुआवजा का निर्धारण किस आधार पर किया गया है।
2. यह कि उक्त टावर के लगाते समय हुए नुकसान का मुआवजा के चैक प्रार्थी को चैक भुगतान की तिथि निकलने के उपरान्त उपलब्ध कराये गये जिस कारण उनका भुगतान नही हो पाया क्यों।
3. उक्त चैक को प्रार्थी के द्वारा व्यक्तिगत रूप कार्यालय में उपस्थित होकर श्रीमान कैरा जी तत्कालीन सहायक अभियन्ता शाहजहाँपुर उत्तरी क्षेत्र-1 को इस आशय से लौटाये गये कि पुनः नवीनीकरण कराकर प्रार्थी को उप्लब्ध करा दिये जायेगे। परन्तु आज तक उसे उक्त कोई भी चैक प्राप्त नहीं हुआ क्यों।
4. प्रार्थी के चैक विलम्ब का कारण और उसको अब तक मुआवजे से वंचित रखे जाने के कारण प्रार्थी को हुई आर्थिक और मानसिक क्षति के लिए कौन उत्तरदायी है।
5. महोदय प्रार्थी के चैको सं 002509 दि0 23.04.2013 धनराशि रू0 18910/00 तथा दूसरा चैक सं0 018618 दिं0 13.08.2014 धनराशि रू0 2494/00 को पुनः जारी करवाने में क्या दिक्कत हो रही है।

प्रार्थी इस संबंध में 10 रूपये का भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या...
दिनाक... . संलग्न कर रहा हैं इसके अतिरिक्त कोई अन्य शुल्क हो तो प्रार्थी उसको देने को तैयार है। महोदय से अनुरोध है कि प्रार्थी को यह सूचनाऐ उच्च प्राथमिकता के आधार नियमानुसार समय विधि के अनूरूप करने का कष्ट करें।

उपरोक्त माँगी गयी सूचनाएँ यदि किसी अन्य पटल/विभाग से सम्बन्धित हों तो अधिनियम की धारा 6(3) के अर्न्तगत कार्यवाही करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

दिनांकः-

प्रार्थी

राजकुमार

राजकुमार पुत्र स्व0 डालचन्द्र
निवासी मिलक बमनपुरी, पोस्ट बड़ेपुरा तहसील नबावगंज जिला बरेली।
मोवाइल नं0 9412605469

दि. 28/12/18

PDF Compressor Free Version

सेवा में

श्रीमान सक्षम अधिकारी महोदय,

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इन्डिया लि0,

उत्तरी क्षेत्र-1, शाँहजहाँपुर।

विषयः- **पारेषण लाइन डाले जाने पर क्षतिग्रस्त हुई फसल के बावत दिये गये मुआवजे के चैक की वैद्यता तिथि निकल जाने के कारण बैंक के द्वारा भुगतान न करने के संबंध में।**

महोदय

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम मिलक बमनपुर परगना व तहसील नबावगंज जिला बरेली का निवासी है प्रार्थी के खाते में पोल नम्0 11/0 लगा है जिसका क्षतिपूर्ति हेतु प्रार्थी को एक चैक नं0 002509 दि0 23.04.2013 अंकन रू0 18910/00 माह जुलाई में मिला जब प्रार्थी ने यह चैक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया तो उसे बैंक ने नियत चैक वैद्यता अवधि तीन माह निकल जाने के कारण दर्शाते हुए भुगतान हेतु मना कर दिया। अतः तभी प्रार्थी ने यह चैक आपके कार्यालय में पुर्ननिर्गमन हेतु लौटा दिया परन्तु आजतक मेरे द्वारा भेजे गये चैक पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, अतः आपसे से अनुरोध है कि कृपया इस चैक को पुनः निर्मित कर प्रार्थी के पते पर द्वारा उचित माध्यम के प्रेषित करें।

इस आशय के साथ प्रेषित कि आपके माध्यम से अतिशीघ्र उचित कार्यवाही कर प्रार्थी को भुगतान किया जाये।

संलग्नकः-

1. जारी किये गये चैक को छायाप्रति।

19/7/14
15/7/14

प्रार्थी

राजकुमार

राजकुमार पुत्र स्व.श्री डालचन्द्र

नि0 ग्राम मिलक बमनपुरी डा0 बढ़ेपुरा

निकट ग्रा0 खोह परगना व तहसील नबावगंज,

जिला बरेली।

PDF Compressor Free Version

4194 1/s

2/22,488

Presenting Bank Code : 24

HDFC BANK
BAREILY
KRISHNA PALACE,
154,CIVIL LINES
BAREILY - 243001

Return to : PUNJAB AND NATIONAL
Cheque No. : 000000018618
Amount (Rs) : 2494.00
Amount in Words: Two Thousand Four Hundred Ninety Four Only

Return Unpaid Reason : CHEQUE STALE
Date : 13-Nov-2014

Signature

PDF Compressor Free Version

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

उत्तरी क्षेत्र–1, शाहजहाँपुर

कृष्णा भवन, सेठ इन्क्लेव (नियर पी.डब्लू.डी. इक्सपेक्शन बंगला) शाहजहाँपुर (उ०प्र०)

पावरग्रिड

बुक नं० : 44 क्रमांक सं० : 2197 उ० क्षे०–1, शाहजहाँपुर NR-I, Shahjahanpur

पत्रांक सं० : एन–1/शाहजहाँपुर/निर्माण/पारेषण लाईन/फसल दिनांक 27/3/ 20 14

विषय : 765 के०वी० सिंगल सर्किट बरेली–लखनऊ (पार्ट–I) पारेषण लाइन निर्माण में क्षतिग्रस्त हुई फसल के संबंध में।

महोदय,

श्री राजकुमार पुत्र श्री हरिश्चन्द्र फोन/मो० ....

ग्राम मिलक समनपुरी मौजा .... पोस्ट बड़पुरा तहसील नवाबगंज जिला बरेली

इस पत्र के माध्यम से आपको सूचना दी जाती है कि पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (भारत सरकार का उद्यम) बरेली से लखनऊ तक 765 के०वी० सिंगल सर्किट पारेषण लाइन का निर्माण कर रहा है। इसके लिये विभाग को इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 68 एवं 164 के साथ गठित इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 भाग–3 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य करने को प्रावधानित किया गया है।

पारेषण लाइन के निर्माण के समय जो फसल की क्षति विभाग द्वारा की जाती है। उसके मुआवजे का भुगतान तहसीलदार के द्वारा निर्धारित तथा सत्यापित होने के बाद पावरग्रिड द्वारा देय होगा।

क्षतिग्रस्त फसल का विवरण

क्र०सं०	लोकेशन नं०	फसल का विवरण	कुल क्षेत्रफल (मीटर²)	खसरा/चक नं०	अन्य विवरण
	11/0 to 10/3	गेहूँ	50×20 =1000m2		Dummy tree cutting

नोटिस प्राप्त किया :

(नाम सहित हस्ताक्षर) राजकुमार अवर अभियन्ता ग्राम प्रधान

प्रतिलिपि :

तहसीलदार .... / जिला ....

आपको यह पत्र इस आंशय से प्रेषित किया जाता है कि आप क्षतिग्रस्त फसल का उचित मुआवजा बनाकर एवं स्वामित्व सत्यापित करके इस कार्यालय को लौटाने की कृपा करें जिससे फसल का मुआवजा दिया जा सके।

अभियन्ता,/प्रबन्धक, पारेषण लाइन, (निर्माण)

तहसील कार्य हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... पुत्र श्री ....

निवासी ग्राम .... पोस्ट .... तहसील .... चक/खसरा संख्या .... पर

क्षतिग्रस्त फसल का मुआवजा (रूपसा) .... (शब्दों में) ....है। रिपोर्ट सेवा हेतु अग्रसारित है।

हस्ताक्षर लेखपाल

हस्ताक्षर कानूनगो/राजस्व निरीक्षक

हस्ताक्षर एवं मुहर तहसीलदार

PDF Compressor Free Version

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)
उत्तरी क्षेत्र–1, शाहजहाँपुर
कृष्णा भवन, सेठ इन्क्लेव (नियर पी.डब्लू.डी. इक्सपेक्शन बंगला) शाहजहाँपुर (उ0प्र0)
पावरग्रिड
उ0 क्षे0–1, शाहजहाँपुर
NR-I, Shahjahanpur

बुक नं0 : 44

क्रमांक सं0 : 2196

पत्रांक सं0 : एन–1/शाहजहाँपुर/निर्माण/पारेषण लाईन/फसल दिनांक : 27/3 20 19

विषय : 765 के0वी0 सिंगल सर्किट बरेली–लखनऊ (पार्ट–I) पारेषण लाइन निर्माण में क्षतिग्रस्त हुई फसल के संबंध में।

महोदय,

श्री राजकुमार पुत्र श्री सुमेरचन्द फोन/मो0 ....

ग्राम मिलक चमनपुर मौजा .... पोस्ट बड़ेपुरा तहसील नवाबगंज जिला बरेली

इस पत्र के माध्यम से आपको सूचना दी जाती है कि पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 (भारत सरकार का उद्यम) बरेली से लखनऊ तक 765 के0वी0 सिंगल सर्किट पारेषण लाइन का निर्माण कर रहा है। इसके लिये विभाग को इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 68 एवं 164 के साथ गठित इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 भाग–3 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य करने को प्रावधानित किया गया है।

पारेषण लाइन के निर्माण के समय जो फसल की क्षति विभाग द्वारा की जाती है। उसके मुआवजे का भुगतान तहसीलदार के द्वारा निर्धारित तथा सत्यापित होने के बाद पावरग्रिड द्वारा देय होगा।

क्षतिग्रस्त फसल का विवरण

क्र0सं0	लोकेशन नं0	फसल का विवरण	कुल क्षेत्रफल (मीटर^2)	खसरा/चक नं0	अन्य विवरण
	11/0 to 11/1	गेहूँ	60x10 =600m2		During tree cutting

नोटिस प्राप्त किया : राजकुमार
(नाम सहित हस्ताक्षर)

अवर अभियन्ता

ग्राम प्रधान

प्रतिलिपि :

तहसीलदार .... / जिला ....

आपको यह पत्र इस आशय से प्रेषित किया जाता है कि आप क्षतिग्रस्त फसल का उचित मुआवजा बनाकर एवं स्वामित्व सत्यापित करके इस कार्यालय को लौटाने की कृपा करें जिससे फसल का मुआवजा दिया जा सके।

अभियन्ता/प्रबन्धक, पारेषण लाइन, (निर्माण)

तहसील कार्य हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... पुत्र श्री ....
निवासी ग्राम .... पोस्ट .... तहसील .... चक/खसरा संख्या .... पर क्षतिग्रस्त फसल का मुआवजा (रूपसा) .... (शब्दों में) ....है। रिपोर्ट सेवा हेतु अग्रसारित है।

हस्ताक्षर लेखपाल

हस्ताक्षर कानूनगो/राजस्व निरीक्षक